

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 144] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 11, 1977/श्रावण 20, 1899
No. 144] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 11, 1977/SRAVANA 20, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 11th August 1977

No. Drawback/PN-36/77—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/E. No. 602/2/70—DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time:—

After sub-serial no. 4812 and the entries relating thereto, the following sub-serial No. and the entries shall be inserted, namely:—

Sub-S. No.	Description of goods	Rate of drawback.
4813	Paper Capacitors/Condensers of voltage rating 220 Volts to 500 Volts.	Rs. 1.19 (Rupee one and paise nineteen only) per Microfarad (M.F.D.).

All brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of the above goods will stand withdrawn with the coming into effect of this Public Notice.

C. D. RANGACHARI, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1977

सं० प्रतिभ्रदायगी/सा० सू०-36/77.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिभ्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70 प्र०अ०) के नियम 3 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना संख्या प्रतिभ्रदायगी/सा० सू० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 4812 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपक्रमांक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

उप-क्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिभ्रदायगी की दर
4813	220 वाट से 500 वाट की वोल्टेज के कागज संधारित्र/कन्डेंसर	1.19 रु० (केवल एक रुपया और उन्नीस पैसे) प्रति माइक्रोफेरेड (एम० एफ० डी०)

उपर्युक्त माल के संबंध में अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता के लिए नियत की गई ब्राण्ड वरें इस सार्वजनिक सूचना के प्रभावी होते ही वापस ले ली गई समझी जाएंगी ।

सी० डी० रंगाचारी ,उप सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977